

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा दुरस्ती व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती सहमति से किये जाने हेतु होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					इन्द्राज	
1	2	3	4	5	6	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	रकबा
81/कोडा	37	कोडा प्र जि. प्र. अप. लक्ष्मी	548 खसरा 10	39 13-48	कोडा प्र जि. प्र. अप. लक्ष्मी	39

शिविर प्रभारी  
(अति. जिला कलेक्टर, डीडवाना)  
(अति. जिला कलेक्टर, डीडवाना)  
PGSA-2021

दिनांक :-

क्रमांक :- 664/29-10-21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी  
शिविर प्रभारी  
(अति. जिला कलेक्टर, डीडवाना)  
(अति. जिला कलेक्टर, डीडवाना)  
दिनांक 2021, पंच. मौलासर

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का कोडा को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर